



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06092023-248601
CG-DL-E-06092023-248601

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 516]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 6, 2023/भाद्र 15, 1945

No. 516]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 6, 2023/BHADRA 15, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर 2023

सं. 45/2023 - केंद्रीय कर

सा.का.नि. 657(अ).—केंद्रीय सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय माल और सेवा कर नियम 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय माल और सेवाकर (तीसरा संशोधन) नियम, 2023 है।
(2) यह नियम उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।
- केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 में, नियम 31क के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतः स्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :-

“31ख. ऑनलाइन मनी गेमिंग सहित ऑनलाइन गेमिंग के मामले में आपूर्ति का मूल्य.—

इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, ऑनलाइन गेमिंग की आपूर्ति का मूल्य, ऑनलाइन मनी गेमिंग में सम्मिलित कार्रवाई योग्य दावों की आपूर्ति सहित, आपूर्तिकर्ता को भुगतान की गई या देय या जमा की गई कुल राशि होगी, जिसमें डिजिटल संपत्ति, खिलाड़ी द्वारा या उसकी ओर से वर्चुअल भी सम्मिलित है:

परन्तु किसी भी कारण से आपूर्तिकर्ता द्वारा खिलाड़ी को लौटाई गई या वापस की गई कोई भी राशि, जिसमें खिलाड़ी किसी भी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपूर्तिकर्ता के साथ भुगतान की गई या जमा की गई राशि का उपयोग नहीं कर रहा है, ऑनलाइन मनी गेमिंग की आपूर्ति के मूल्य से कटौती योग्य नहीं होगी।

31 ग. कैसीनो के मामले में कार्रवाई योग्य दावों की आपूर्ति का मूल्य - इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, कैसीनो में कार्रवाई योग्य दावों की आपूर्ति का मूल्य खिलाड़ी द्वारा या उसकी ओर से भुगतान की गई या देय कुल राशि होगी -

- (i) कैसीनो में उपयोग के लिए टोकन, चिप्स, सिक्के या टिकट, चाहे किसी भी नाम से पुकारे जाएं, की खरीद; या
- (ii) कैसीनो में खेल, स्कीम, प्रतियोगिता या किसी अन्य क्रियाकलाप या प्रक्रिया सहित किसी भी कार्यक्रम में भाग लेना, ऐसे मामलों में जहां टोकन, चिप्स, सिक्के या टिकट, चाहे किसी भी नाम से पुकारे जाएं, की अपेक्षा नहीं है:

परन्तु कैसीनो द्वारा यथास्थिति खिलाड़ी को टोकन, सिक्के, चिप्स, या टिकट लौटाने पर, या अन्यथा लौटाई गई कोई भी राशि, कैसीनो में कार्रवाई योग्य दावों की आपूर्ति के मूल्य से कटौती योग्य नहीं होगी।

स्पष्टीकरण.- नियम 31 ख और नियम 31 ग के प्रयोजन के लिए, खेल, स्कीम, प्रतियोगिता या किसी अन्य क्रियाकलाप या प्रक्रिया सहित किसी भी प्रतियोगिता को जीतकर खिलाड़ी द्वारा प्राप्त कोई भी राशि, जिसका उपयोग उक्त खिलाड़ी द्वारा आगे की घटना में खेलने के लिए किया जाता है बिना निकासी के, उक्त खिलाड़ी द्वारा या उसकी ओर से आपूर्तिकर्ता को भुगतान की गई या उसके पास जमा की गई राशि नहीं मानी जाएगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-20/2/2023-जीएसटी]

राघवेंद्र पाल सिंह, निदेशक

टिप्पणः मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यां 3/2017-केंद्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017, सा.का.नि. संख्यांक 610 (अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. 38/2023-केंद्रीय कर, तारीख 4 अगस्त, 2023, सा.का.नि. 590(अ) तारीख 4 अगस्त, 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th September, 2023

No. 45/2023 – Central Tax

G.S.R. 657(E).—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: —

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Goods and Services Tax (Third Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. In the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, after rule 31A, the following rules shall be inserted, namely:-

“31B. Value of supply in case of online gaming including online money gaming.–

Notwithstanding anything contained in this chapter, the value of supply of online gaming, including supply of actionable claims involved in online money gaming, shall be the total amount paid or payable to or deposited with the supplier by way of money or money’s worth, including virtual digital assets, by or on behalf of the player:

Provided that any amount returned or refunded by the supplier to the player for any reasons whatsoever, including player not using the amount paid or deposited with the supplier for participating in any event, shall not be deductible from the value of supply of online money gaming.

31C. Value of supply of actionable claims in case of casino.– Notwithstanding anything contained in this chapter, the value of supply of actionable claims in casino shall be the total amount paid or payable by or on behalf of the player for –

- (i) purchase of the tokens, chips, coins or tickets, by whatever name called, for use in casino; or
- (ii) participating in any event, including game, scheme, competition or any other activity or process, in the casino, in cases where the token, chips, coins or tickets, by whatever name called, are not required:

Provided that any amount returned or refunded by the casino to the player on return of token, coins, chips, or tickets, as the case may be, or otherwise, shall not be deductible from the value of the supply of actionable claims in casino.

Explanation.- For the purpose of rule 31B and rule 31C, any amount received by the player by winning any event, including game, scheme, competition or any other activity or process, which is used for playing by the said player in a further event without withdrawing, shall not be considered as the amount paid to or deposited with the supplier by or on behalf of the said player.”

[F. No. CBIC-20/2/2023-GST]

RAGHAVENDRA PAL SINGH, Director

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number 3/2017-Central Tax, dated the 19th June, 2017, published, *vide* number G.S.R. 610(E), dated the 19th June, 2017 and were last amended, *vide* notification No. 38/2023 -Central Tax, dated the 4th August 2023, *vide* number G.S.R. 590 (E), dated the 4th August 2023.